# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**...............

2. प्र.इ.रि.सं...............................307../**2023**............. दिनांक ......20/12/2023...................

   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**. धारा – **7**......

   (II) * अधिनियम .........................................................................धारा – ...............................

   (III) * अधिनियम...............................–............................... धाराएं...................–.......................

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ..............................–...................................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....................1023 समय......6:30P.M..................

   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– बुधवार **दिनांक 06.09.2023**

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .......05.09.2023 वक्त 12.15 पी.एम..... .......

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**

5. घटनास्थल :–

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **दक्षिण दिशा 65 किमी**

   (ब) पता – **पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर**

   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम – श्री रावतराम मेघवाल

   (ब) पिता/पति का नाम – श्री आदूराम

   (स) जन्म तिथि/आयु – 52 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह .............

   (र) पेशा – खेती व मजदूरी

   (ल) पता – गांव रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बाल, पोस्ट रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कानि.नं. 2260 पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ........................–.............................................

11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....................–............................................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 05.09.2023 वक्त 12.15 पीएम पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्युरो एस.यु.बीकानेर ने मन पुलिस निरीक्षक पिंकी गंगवाल को अपने कक्ष मे बुलाया तथा अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय श्री रावतराम मेघवाल पुत्र श्री आदुराम निवासी गांव रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर होना बताकर मेरे से आपसी परिचय करवाया तथा श्री रावतराम का प्रार्थना पत्र पेश कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक श्री रावतराम को व उनका प्रार्थना पत्र हमराह लेकर अपने कक्ष मे पहुची। श्री रावतराम ने पुछने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया एवं उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में होना बताया। श्री रावतराम ने पुछने पर बताया कि दिनांक .01.09.2022 को मैने पुलिस थाना नोखा मे मुकदमा नम्बर 406 धारा 323,341,504,506,34 आईपीसी व 3 एस सी/एस टी मे दर्ज करवाया जिसकी जांच कर आज दिनांक 05.09.2023 को कोर्ट मे चालान करने की सुचना मुझे पुलिस थाना नोखा के मोबाइल न0 8209306154 से दी तथा बीकानेर कोर्ट पहुचने को कहा तो मै आज 11.00 बजे बीकानेर आया और नोखा थाना से आये सत्यनारायण मीणा से मिला उन्होने मेरे से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर मेरे से 1000/रू मांगे। मैने कहा अब मेरे पास नही है तो मीणा साहब ने कहा आज शाम 6 बजे नोखा मे दे देना अन्यथा आपको एस.सी/एस.टी मे मिलने वाली सहायता नही मिलेगी तथा मुकदमा भी कमजोर हो जायेगा। अतः आज हजार, फिर पाचं हजार रूपये दे देना। श्रीमान जी मै रिश्वत नही देना चाहता। अतः आपसे निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलवाने का कष्ट करे। प्रार्थना पत्र के अवलोकनव दरियाफ्त मजीद से मामला पीसी एक्ट की परिधी मे आना पाया जाने पर परिवादी श्री रावतराम को सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। श्री योगेन्द्र सिह कानि0 को अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री रावतराम से आपसी परिचय करवाया गया व श्री रावतराम द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यो से अवगत करवाया गया। श्री योगेन्द्र सिह कानि से कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी श्री रावतराम व श्री योगेन्द्र सिह कानि को डिजिटल वायस रिकॉर्डर मे वार्ता रिकॉर्ड करने बाबत डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया कि श्री सत्यनारायण कानिस्टेबल का मेरे पास फोन आने पर मैं आपको या श्री योगेन्द्र सिंह कानिस्टेबल को कॉल कर बता दूंगा तब आप श्री योगेन्द्र सिंह कानिस्टेबल को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर मेरे पास नोखा भेज देना मैं नोखा में मिल जाउंगा और रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। श्री रावतराम व श्री योगेन्द्रसिंह कानि को एक दुसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया।

वक्त 08.19 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि0 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल बताया कि परिवादी श्री रावतराम ने मुझे जरिये मोबाइल कॉल कर बताया की श्री सत्यनारायण मीणा कानि0 का मेरे पास कॉल आया है कल शाम को मिलने के लिये पुलिस थाना नोखा बुलाया है। जिस पर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये गये।

दिनांक 06.09.2023 वक्त 4.00 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि. को डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर परिवादी श्री रावतराम से नोखा मे सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने की हिदायत कर रवाना किया गया।

वक्त 9.19 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि. ने जरिये मोबाइल बताया कि मैं नवली गेट नोखा पहुच कर परिवादी श्री रावतराम से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड ऑन करके श्री रावतराम को सुपुर्द कर श्री सत्यनारायण मीणा कानि0 से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना नोखा की तरफ भेजा, करीब 11–12 मिनट बाद परिवादी वापस मेंरे पास आया और मुझे बताया कि पुलिस थाना नोखा की ओर जाते समय श्री सत्यनारायण मीणा कानि. मुझे थाने के रास्ते मे मिल गया था। श्री सत्यनारायण कानि ने मुझे बताया कि मेरी पोस्टिगं नोखा थाने मे है और मै कोर्ट पेरोकार का काम करता हूँ। श्री सत्यनारायण कानि से मैने अपने मुकदमे मे चालान/एफआर के संबधं मे पूछा तो उसने मुझे बताया कि आपका मुकदमा न. 406 है जिसमे चालान कोर्ट मे पेश करने की दिनांक 12.09 है चालान पेश करने से पहले मै आपको सुचित कर दुगां। श्री सत्यनारायण कानि ने मुझसे 1000रू ले लिये है और बाकि पैसो के लिये कहा है कि जब आपको समाज कल्याण विभाग से पैसे मिल जाये तब दे देना। उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड की है।परिवादी से मैने डिजिटल वायस रिकॉर्डर लेकर बंद करके अपने पास रख लिया है। परिवादी ने मेरे से कहा कि अभी मेरे काम है मै बीकानेर बाद मे आउंगा। जिस पर श्री योगेन्द्र सिंह क़ानि को निर्देश दिये गये कि परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखस्त करने की हिदायत की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये।

वक्त 11.00 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया और डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू कानि के डिजिटल वायस रिकॉर्डर को कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करके सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसके मुकदमें के संबंध में बातचीत कर 1000/रू लेने व बाकी बाद में देने तथा परिवादी रावतराम के मुकदमे

का चालान न्यायलय मे पेश करने तथ्य पाये गये। परन्तु शेष राशि के संबंध में स्पष्ट वार्ता नही हुई है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट आईदा परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आने पर तैयार की जायेगी। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 13.09.2023 वक्त 5.45 पीएम पर परिवादी श्री रावतराम ने जरिये दूरभाष श्री योगेन्द्र सिह कानि को बताया कि श्री सत्यनारायण मीणा कानि ने मुझे नवली गेट नोखा पर मिलने बुलाया है इसलिए आप कल डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर नवलीगेट नोखा प्रात आ जाना मै वही मिलूंगा। जिस पर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये तथा श्री योगेन्द्र सिंह कानि को कल दिनांक 14.09.2023 प्रातः डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर नोखा जाने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 14.09.2023 वक्त 5.45 एएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि को डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय पूर्व से प्रयुक्त शुदा मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर नोखा पहुच परिवादी श्री रावतराम से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत कर नोखा के लिए रवाना किया।

वक्त 11.00 एएम पर श्री योगेन्द्र सिह कानि कार्यालय मे उपस्थित आया व डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर बताया कि मै यहा से रवाना होकर नवली गेट नोखा पहुचा तथा परिवादी श्री रावतराम से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर श्री सत्यनारायण मीणा कानि0 से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना नोखा की तरफ रवाना किया। मै मेरी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाना नोखा के आस पास सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुआ। करीब 20 मिनट बाद परिवादी पुलिस थाना नोखा से मेरे पास आया। मैने उनसे डिजिटल वायस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मै पुलिस थाना नोखा पहुचकर श्री सत्यनारायण मीणा कानि.से मिला तो श्री सत्यनारायण मीणा ने मुझे बताया की आपका चालान मैने कोर्ट मे पेश कर दिया है मैने जो एपीपी से चालान सबमिट करवाया है उसके 500 रूप्ये मैने एपीपी को अपनी जेब से दिये है वो 500 रूपये आपको मुझे देने पडेगे इसके अलावा 500 रूप्ये ब्रीफ के लगे है इसलिये आप मुझे 1000 रू दो। जिस पर मैने कहा कि मै अभी पैसे लेकर नही आया मुझे लगा कि चालान पेश हुआ है या नही इस संबंध मे बात करने के लिये आपने बुलाया है। मै पैसे बैंक से निकलवाकर आपको दुगां जिस पर श्री सत्यनारायण मीणा कानि ने कहा कि शाम को कोर्ट से वापस आने के बाद आप मुझे पैसे दे जाना। परिवादी ने मुझसे कहा कि अभी मेरे काम है मै दोपहर मे बीकानेर आ जाउंगा जिस पर मै रवाना होकर उपस्थित आया हू। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वार्ता के डिजिटल वायस रिकॉर्डर को श्री योगेन्द्र सिंह कानि की उपस्थिति में कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट किया, डिजिटल वायस रिकॉर्डर मे स्थापित मैमोरी कार्ड मे सेव है। उक्त वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया। जिसमे चालान सबमिट करने के पीपी के 500 रू व ब्रीफ के 500 रू रिश्वत राशि मांग करने के तथ्य पाये गये है। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। डिजिटल वायस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

वक्त 01.45 पीएम पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि श्री सत्यनारायण मीणा कानिस्टेबल का मेरे पास फोन आयेगा तब आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी से फर्द ट्रासंक्रिप्ट के संबंध में बताया तो उसने कहा कि आज मेरे काम है मै बाद में आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया।

दिनांक 15.09.2023 वक्त 04.30 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि ने जरिये दूरभाष परिवादी श्री रावतराम से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मैं आज बीकानेर नहीं आ सकता। मैं मेरे कार्य से फ्री होकर बीकानेर आउंगा। दिनांक 17.09.2023 वक्त 08.46 एएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि मैं मेरे घर के खेतीबाडी के कार्यो में लगा हुआ हूं तथा श्री सत्यनारायण कानिस्टेबल का मेरे पास फोन नहीं आया है। श्री सत्यनारायण कानिस्टेबल मेरे से सम्पर्क करेगा तो तुरन्त रिश्वत राशि लेकर बीकानेर आ जाउंगा।

दिनांक 23.09.2023 वक्त 03.51 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि ने जरिये दूरभाष परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक श्री सत्यनारायण कानिस्टेबल का मेरे पास कॉल नहीं आया है,मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूं। उनका कॉल मेरे पास आने पर मै तुरन्त सूचना दे दूंगा।

दिनांक 03.10.2023 वक्त 11.00 एएम पर परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु परिवादी का फोन नोट रिचेबल आने के कारण परिवादी से सम्पर्क नहीं हो पाया। हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किया।

दिनांक 17.10.2023 वक्त 02.15 पीएम पर परिवादी श्री रावतराम से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि श्री सत्यनारायण कानिस्टेबल को मैने कई बार कॉल किया किन्तु मेरा फोन लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है उनको मेरे उपर शक हो गया है इसलिए वह मेरे से अब रिश्वती राशि नहीं लेगा। जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई।

दिनांक 18.10.2023 वक्त 11.00 एएम पर परिवादी श्री रावतराम कार्यालय में उपस्थित आया व श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक के नाम एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि श्री सत्यनारायण मीणा कानिस्टेबल को मेरे उपर अंदेशा हो गया है इसलिए वह अब मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रावतराम व श्री जमील अहमद कानि की उपस्थिति में दिनांक 06.09.2023 व 14.09. 2023 को परिवादी श्री रावतराम द्वारा श्री सत्यनारायण मीणा कानिस्टेबल पुलिस थाना नोखा से रिश्वत मांग सत्यापन के समय वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को परिवादी श्री रावतराम व श्री जमील अहमद कानि की उपस्थिति में कार्यालय लैपटॉप से कनेक्ट कर सुन सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है कि दिनांक 06.09.2023 को परिवादी से आरोपी द्वारा चालान पेश करे की एवज में 1000रू रिश्वत राशि के मांग कर प्राप्त किये व दिनांक 14.09.2023 को चालान सबमिट करने के पीपी के 500 रू व ब्रीफ के 500 रू रिश्वत के मांग के तथ्य पाये गये है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जमील अहमद कानि से टाईप करवाई गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 06 व 14.09.2023 की दो क्लीप को दो नये पेन ड्राईव में कॉपी करवाकर एक पेन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व दूसरे पेन ड्राईव को खुला रखा गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकॉर्डर में से निकाल कर उसको उसके सेफटी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलमोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड, सिल्ड शुदा पेनड्राइव व एक खुला पेन ड्राईव कार्यालय के मालखाना में श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक के जरिये जमा करवाये गये। परिवादी को बाद हिदायत रूखस्त किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री रावतराम मेघवाल से आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा कानिस्टेबल पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में चालान पेश करने की एवज में 1000 रू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के वक्त लेना व चालान सबमिट करने के 500 रू तथा ब्रीफ के 500 रू कुल 1000 रू रिश्वत राशि की मांग करने के तथ्य पाये गये। इस प्रकार आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बाल, पोस्ट रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कानिस्टेबल नम्बर 2260 पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018 ) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बाल, पोस्ट रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कानिस्टेबल नम्बर 2260 पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर के विरुद्ध उक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीया,

(पिंकी गंगवाल)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री भंवरलाल, कानि. नम्बर 2260, पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 307/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.12.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 3149-52 दिनांक 20.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।
3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।